122

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2833/2018/बैतूल/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 19.04.2018 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 386/अपील/17-18.

दसरू पुत्र तुका
निवासी ग्राम सांईखेड़ा
तहसील मुलताई, जिला बैतूल, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. राजेश
2. पवन पुत्रगण स्व. इटढोला
   दोनों निवासी ग्राम साईंखेडा,
   तहसील मुलताई, जिला बैतूल
3. गीता पत्नी श्रीराम पुत्री स्व. इटठोला
   निवासी पाटीडोह घनौरा तहसील आठनेर
   जिला बैतूल, म.प्र.
4. रघुनाथ पुत्र तुका
5. लक्ष्मण
6. दौलत
7. नारायण पुत्रगण श्यामराव
8. कला पिता श्यामराव
9. पारवती पिता श्यामराव
10. कृष्णा
11. उदाराम पुत्रगण भीमराव
12. दुर्गा
13. शांता
14. लक्ष्मी पुत्रीगण भीमराव

    क्र. 4 से 14 निवासीगण ग्राम सांईखेडा,
    तहसील मुलताई, जिला बैतूल, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1, 2 व 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/1/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 19.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा ग्राम सेमला, तहसील मुलताई स्थित भूमि खसरा नंबर 65/1 रकबा 6.212 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख वर्ष 2010 में आवेदक एवं अनावेदकगण के संयुक्त नाम पर अभिलिखित रही। उक्त भूमि का बंटवारा संशोधन पंजी क्र. 3 दिनांक 07.02.2010 के माध्यम से खातेदारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा पारिवारिका बंटवारा पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार, मुलताई द्वारा दिनांक 04.03.2010 को प्रमाणित किया गया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई के समक्ष दिनांक 03.08.2010 को अपील अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गई। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 41/अ-6/09-10 दर्ज कर आदेश पत्रिका दिनांक 20.07.2011 के माध्यम से आवेदक का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला बैतूल के समक्ष निगरानी पेश की गई, जिसे कलेक्टर, बैतूल द्वारा निरस्त किया गया। तत्पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई उपरांत दिनांक 30.06.2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 19.04.2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे नं. 65 रकबा 23.02 एकड़ भूमि तुका ने क्रय की थी। विक्रय पत्र दौरान तुका के साथ उसके भाई सको का पुत्र श्यामराव साथ में था। इस कारण विक्रय पत्र में तुका के साथ श्यामराव का नाम भी लेख हो गया था, जबकि वाद भूमि मात्र तुका ने क्रय की थी। यह भी कहा गया कि वादग्रस्त भूमियों का आवेदक एवं अनावेदक के मध्य आपसी मौखिक बंटवारा वर्षों पूर्व हो चुका था, जिसके

अनुसार आवेदक को बंटवारे में अलग अलग टुकड़े प्राप्त हुये, जो लगभग 6 एकड़ के लगभग है, किंतु राजस्व खाते में कोई बंटावरा नहीं हुआ था। आवेदक मौखिक बंटवारा में प्राप्त भूमि पर काबिज होकर कृषि करता चला आ रहा है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय में बंटवारा हेतु आवेदन पेश कर राजस्व अधिकारी व पटवारी से सांठ-गांठ कर अवैध रूप से बंटवारा का प्रकरण बनाकर आवेदक को सूचना दिये बिना घर बैठकर फर्द बटांकन तैयार कर पेश कर दी, जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं दी गई। फर्द बटांकन पर आपत्ति भी आमंत्रित नहीं की गई, न ही आवेदक के फर्द बटांकन पर हस्ताक्षर लिये गये। उक्त फर्द बटांकन पर आदेश पारित कर संशोधन भी करा लिया गया, जिसकी आवेदक को कोई जानकारी नहीं दी गई। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटांन पर बिना कोई आपत्ति आहुत किये व बिना आवेदक को सूचित किये नियम विरूद्ध बंटवारा का आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी भी कोई जानकारी आवेदक को नहीं दी गई। यह भी कहा गया कि बंटवारा आदेश के पश्चात् तहसील न्यायालय द्वारा आनन फानन में आवेदक एवं अनावेदकगण के खाते अलग करने हेतु संशोधन भी पारित कर दिया गया, जिसकी भी कोई सूचना आवेदक को नहीं दी गई, न ही आवेदक के संशोधन पंजी पर हस्ताक्षर लिये गये तथा संशोधन पंजी पर उसके फर्जी हस्ताक्षर कर दिये गये, जबकि आवेदक दोनों हाथ से विकलांग है, हस्ताक्षर नहीं कर पाता, उसके द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं किये। इस प्रकार उक्त संशोधन भी पूर्णत: नियम विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि गया कि संयुक्त खाते की भूमि में से कुछ रकबा नहर में चला गया, उसके मुआवजा की राशि सभी खातेदार के नाम संयुक्त चैक प्राप्त हुआ था। उक्त मुआवजा की राशि चैक से रघुनाथ के खाते से निकाली गई है। उक्त राशि निकालने की रिपोर्ट दिनांक 22.03.2011 को आवेदक ने पुलिस थाना में की है। आवेदक ने कोई राशि नहीं निकाली, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने चैक से राशि निकालने में किये गये हस्ताक्षर एवं तहसील न्यायालय में किये गये हस्ताक्षर का मेल होना मानते हुए अपील निरस्त करने में भूल की है।

4/ अनावेदक क्र. 1, 2 व 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारिवारिक बटवारा एवं आपसी सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जिसे प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालयों द्वारा यथावत रखा गया है । इस आधार पर कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ शेष अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की आपसी सहमति एवं पारिवारिक बटवारा पत्र के आधार पर संशोधन पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिस पर सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर हैं । अत: आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि वह हस्ताक्षर नहीं कर सकता, क्योंकि आवेदक द्वारा बैंक में प्रस्तुत रूपये 87000/- के चैक में उसके हस्ताक्षर हैं । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा विवेचना उपरांत आदेश पारित कर, जो निष्कर्ष निकालते हुए आवेदक की अपील निरस्त की गई है, उसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर